भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *210

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

पंजाब में औद्योगिक विकास दर में गिरावट का युवा रोजगार और उत्प्रवास पर प्रभाव

***210. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब के लुधियाना, जालंधर, फगवाड़ा और अमृतसर में लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र, विशेष रूप से वस्त्र, होजरी, खेल के सामान और मशीन टूल्स में लगातार गिरावट और युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी की जानकारी है जिसके कारण युवा उत्प्रवास कर रहे हैं;

(ख) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब में 18 से 35 वर्ष के शिक्षित युवाओं में वर्तमान बेरोजगारी दर का ब्यौरा क्या है और क्या यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में असमानुपातिक रूप से अधिक है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पंजाब के पारंपरिक उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर में वृद्धि और औद्योगिक पार्कों में अवसंरचना निवेश सहित किसी विशिष्ट औद्योगिक पुनरुद्धार पैकेज या किसी कर अवकाश पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान छात्र वीजा, वर्क परमिट और अन्य श्रेणियों के आधार पर पंजाब के कुल कितने युवाओं ने विदेश पलायन किया है और मानव पूंजी संकट के रूप में उक्त बडे पैमाने पर हुए उत्प्रवास के संबंध में सरकार की क्या राय है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"पंजाब में औद्योगिक विकास दर में गिरावट का युवा रोजगार और उत्प्रवास पर प्रभाव" के संबंध में सांसद श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *210 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 10.9% से घटकर वर्ष 2025 में 9.9% हो गई है और पंजाब राज्य में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 19.1% से घटकर वर्ष 2025 में 17.0% हो गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2025 के दौरान सारे देश और पंजाब राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित व्यक्तियों की अनुमानित बेरोज़गारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

वर्ष 2025 में बेरोज़गारी दर (प्रतिशत में)		
विवरण	**अखिल भारत**	**पंजाब**
निरक्षर	0.3	0.8
साक्षर एवं प्राथमिक तक	0.6	1.0
मिडिल	1.6	2.6
माध्यमिक एवं उससे ऊपर	6.5	9.3

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

एमएसएमई मंत्रालय ने 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ (जिसमें से पंजाब राज्य में 23.62 लाख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जो देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों (जिसमें पंजाब राज्य के 1.01 करोड़ लोग शामिल हैं) को रोजगार प्रदान कर रहे हैं तथा जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है।

पंजाब सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों में पीएमईजीपी (पीएमईजीपी) के अंतर्गत कुल 2,990 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें 14,592.92 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप 29,782 व्यक्तियों के लिए संचयी रूप से रोजगार सृजित हुआ है, जो पूरे राज्य में स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए निरंतर समर्थन को दर्शाता है। पंजाब सरकार ने रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से दिनांक 08.03.2026 को औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास नीति (आईबीडीपी - 2026) भी अधिसूचित की है। यह नीति विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे पूंजी सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी, शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के रूप में निवेश सब्सिडी, विद्युत शुल्क से छूट आदि प्रदान करती है जो नए निवेश करने वाले अथवा विस्तार/आधुनिकीकरण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध हैं जिनमें एमएसएमई भी शामिल है। यह नीति राज्य की मौजूदा उद्योग इकाइयों को भी, नए निवेश से असंबद्ध, विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईईसी) द्वारा एक औद्योगिक भूमि बैंक भी विकसित किया गया है, जिसने पूरे राज्य में 52 औद्योगिक फोकल प्वाइंट स्थापित किए हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) व्यवस्थित विनिर्माण के लिए वार्षिक उद्योग सर्वे (एएसआई) आयोजित करता है। एएसआई की नवीनतम रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब राज्य में विनिर्माण उद्योगों के कारखानों की संख्या वर्ष 2017-18 में 12726 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 13166 हो गई।

सरकार ने 1.91 लाख करोड़ रुपये के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों (वस्त्र उत्पाद: एम.एम.एफ. सेगमेंट और टेक्निकल टेक्स्टाईल सहित) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) पीएलआई योजनाओं के समग्र समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, जबकि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। देश भर में (पंजाब राज्य सहित), दिनांक 31.03.2026 तक, पीएलआई योजनाओं के तहत, 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश हुआ है और 14.15 लाख (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

देश भर में (पंजाब राज्य सहित), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), जिनमें विनिर्माण इकाइयाँ भी शामिल हैं, को वर्ष 2000 में स्थापना से लेकर 30.06.2026 तक, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत कुल 1.47 करोड़ क्रेडिट गारंटियाँ, जिनकी राशि 14.69 लाख करोड़ रूपए है, प्रदान की गई हैं।

भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्या) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे देश भर में (पंजाब राज्य सहित) दिनांक 10.04.2026 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास करना है, ताकि निवेशक आसानी से निवेश स्थापित कर सकें और इससे देश की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हो। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 33,660 करोड़ रुपये है और इसकी अवधि 6 वर्ष है। योजना के अंतर्गत 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

सरकार प्रवासी कामगारों के संबंध में डेटा रखती है, जिनके पास उत्प्रवासन जांच आवश्यक (ईसीआर) पासपोर्ट हैं, जो ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से उत्प्रवासन मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने के बाद अधिसूचित ईसीआर श्रेणी के देशों में से किसी देश में विदेशी रोजगार के लिए जाते हैं। पंजाब से गए प्रवासी कामगारों का देश-वार विवरण, जिन्हें उत्प्रवासन मंजूरी (ईसी) जारी की गई है और जो खाड़ी देशों सहित विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं, https://emigrate.gov.in/#/emigrate. पर देखा जा सकता है
